

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222403

E-mail-dlbrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2017/3577

दिनांक: 16/1/2017

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी

इण्डिया प्राईवेट लि.


जयपुर

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन के तहत द्वितीय चरण में 29 अमृत शहरों में स्थित राजकीय यूनीपोल/होर्डिंग्स साईट्स पर फ्लैक्स लगाये जाने हेतु।

स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों के प्रचार-प्रसार हेतु नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल साईट्स पर फ्लैक्स लगाने हेतु आपकी फर्म को डीआईपीआर दरों पर माह जनवरी, 2017 से माह मार्च, 2017 तक विभागीय पत्रांक 2928 दिनांक 29.12.2016 को कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जिसके क्रम में लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 29 अमृत शहरों में दिनांक 04 जनवरी, 2017 से "स्वच्छ सर्वेक्षण-2017" प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में 29 अमृत शहरों में स्थित राजकीय यूनीपोल/होर्डिंग्स पर फर्म द्वारा फ्लैक्स लगाये जा चुके हैं। द्वितीय चरण में आपको 29 अमृत शहरों में स्थित राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल पर फ्लैक्स लगाये जाने हेतु स्वच्छता ऐप से संबंधित 20x10 व 40x10 की दो अनुमोदित डिजाईनें प्रेषित की जा रही है।

अतः द्वितीय चरण में 29 अमृत शहरों में अनुमोदित डिजाईन के अनुसार राजकीय यूनीपोल/होर्डिंग्स पर फ्लैक्स लगाने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2017/3578-3783

दिनांक: 16/1/2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त ।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान ।
9. सीएमएआर एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

जनसम्पर्क अधिकारी